173

न्यायालय श्री मन् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी 719-III-15

श्री राम कान्त देव पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया। 13-3-15

13.3.15

रामलाल तनय वीरभद्र तिवारी उम्र 63 साल, निबासी ग्राम सलैया, तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0 ---------पुरीक्षणकर्ता

बनाम,

73 / 13-3-15

1/ गुलाव राम तनय श्री भवनेश्वर प्रसद उम्र 75 साल,

2/ श्यामलाल तनय भुवनेश्वर प्रसाद उम्र 68 साल,

3/ लालवहादुर तनचय भुवनेश्वर प्रसाद उम्र 63 साल,

4/ श्री कान्त तनय भुवनेश्वर पसाद उम्र 60 साल,

5/ लालमणि तनय वैकुण्ठ प्रसाद उम्र 63 साल,

6/ चन्द्रवली तनय वैकुण्ठ प्रसाद उम्र 58 साल,

7/ राजेन्द्र तनय वैकुण्ठ प्रसाद उम्र 55 साल,

8/ रमेश तनय वैकुण्ठ प्रसाद उम्र 41 साल,

9/ उत्तम तनय वैकुण्ठ प्रसाद, उम्र 38 साल,

सभी निबासी ग्राम सलैया,तहसील चुरहट,जिला सीधी मध्य प्रदेश ------------उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका विरूद्व विद्धान न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमाक 120/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 3/3/14 जिसके तहत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी चुरहट को प्रत्यावर्तित किया गया है ।

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-779/III/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	रामलाल कार्यवाही तथा आदेश गुलाबराय	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण क्र० 120/निग०/09-10 में पारित आदेश दिनांक 3-3-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों तथा संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर निराकरण लेने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु धारा 5 के आवेदन के संबंध में विचारित है। प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 3.3.14 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-3-14 के पैरा 7 में स्पष्ट एवं विस्तृत तथा बोलता हुआ आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि अनु० अधि० उभयपक्ष को म्याद के प्रश्न पर पुनः सुनकर एवं ग्राम पंचायत की नामांतरण पंजी का अवलोकन कर धारा 5 पर विधि अनुसार विनिश्चय करें। तथा पारदर्शी आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश से किसी भी पक्ष के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में इस स्तर पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही उभयपक्ष को अपना-2 पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है। अतः अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य न होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी में हस्तक्षेप का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	